

प्रेषक,

आलोक कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक,  
पिकप/उ०प्र० वित्तीय निगम।

**औद्योगिक विकास अनुभाग-6**

**लखनऊ: दिनांक: 12 जून, 2020**

विषय:- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न नीतियों एवम् पूर्वगामी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 एवं उसके अन्तर्गत जारी नियमावली, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित सभी अन्य नीतियों तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत संचालित मेगा परियोजनाओं एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2003/2012 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

2- मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) ) की रूपरेखा :-

- (a) नेट राज्य जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की राशि के हेतु यह प्रतिबन्ध रहेगा कि इच्छुक इकाई के क्रेडिट लेजर में नेट एस.जी.एस.टी की गणना हेतु आवेदक के क्रेडिट की उपलब्धता की सीमा तक outward SGST liability का समायोजन क्रेडिट से माना जाएगा तथा कुल outward SGST liability में से आई.जी.एस.टी. क्रेडिट से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

नियमानुसार एस.जी.एस.टी. में समायोजन योग्य क्रेडिट एवं समायोजन योग्य एस.जी.एस.टी. क्रेडिट के योग को घटाने के उपरान्त अवशेष Net SGST के रूप में जमा धनराशि को प्रतिपूर्ति के नियमानुसार आगणन हेतु आधार माना जाएगा।

- (b) आवेदनकर्ता के कारोबार के स्थान (इकाई का अवस्थान) पर उत्पादित अर्ह माल के प्रथम प्रदाय (विक्रय) पर ही सुविधाएं अनुमन्य की जायेंगी। आवेदक के राज्य में स्थित उनके क्रेताओं/डिस्ट्रिब्यूटर्स द्वारा आवेदक इकाई द्वारा उत्पादित एवं विक्रीत माल के अन्तरप्रान्तीय सप्लाई किए जाने की स्थिति में एस.जी.एस.टी. की धनराशि के जितने अंश का समायोजन ऐसी अन्तरप्रान्तीय सप्लाई पर देय आई.जी.एस.टी. के विरुद्ध किया जाएगा, उतनी धनराशि प्रतिपूर्ति के इच्छुक आवेदक द्वारा अपने अनुवर्ती क्लेम से घटा दी जाएगी अथवा संबंधित प्रशासकीय विभाग को वापस कर दी जाएगी।
- (c) सभी आवेदनकर्ता इकाइयों द्वारा 30प्र0 जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत अर्ह उत्पादों के विनिर्माण हेतु पृथक कारोबार के स्थान (इकाई का अवस्थान) हेतु पृथक रजिस्ट्रीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह रजिस्ट्रीकरण प्रश्नगत विषयक सूचना दिये जाने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाएगा। विद्यमान कारोबार के स्थान पर कार्यरत इकाइयों द्वारा विस्तारीकरण/ विविधीकरण किए जाने की दशा में भी ऐसे सम्पूर्ण उपक्रम के कारोबार के स्थान हेतु पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (d) आवेदनकर्ता इकाई पृथक रजिस्ट्रीकरण पर किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग की गतिविधियां किए जाने पर सुविधाओं की अनुमन्यता की अवधि पूर्ण होने तक प्रतिबन्ध रहेगा। विद्यमान इकाइयों द्वारा अपने कारोबार के स्थान (जिसके लिए एल.ओ.सी. जारी किया गया था एवं आंशिक रूप से सुविधाएं प्राप्त की जा चुकी हैं) पर ट्रेडिंग एवं उत्पादन, दोनों गतिविधियां सम्पादित किए जाने की दशा में, ट्रेडिंग हेतु पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया जाएगा।
- (e) आवेदक इकाई द्वारा एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति के आवेदन के साथ निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे :-
- 1) मासिक/त्रैमासिक रिटर्न के प्रारूप-3 बी की प्रति।
  - 2) जी.एस.टी.-आर-1 की प्रति।
  - 3) जी.एस.टी.- आर 2 ए की प्रति।
  - 4) निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र।
  - 5) कम्पनी के स्टेच्युटरी आडिटर्स द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र।
  - 6) कम्पनी की अण्डरटेकिंग।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(f) डेबिट नोट्स :

विशेष सुविधाएं प्राप्त करने वाली अर्ह इकाई द्वारा उसके प्रदायकर्ताओं (सप्लायर्स) द्वारा जारी किए गए कुल डेबिट नोट्स के अभिलेख का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

(g) आवेदक द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग देनी होगी :

- (i) कि उनके द्वारा विक्रय किए गए उत्पाद का उनके अनुवर्ती प्रान्तीय क्रेताओं/डिस्ट्रिब्यूटर्स द्वारा अन्तरप्रान्तीय सप्लाई किए जाने की स्थिति में एस.जी.एस.टी. के जितने अंश का समायोजन ऐसी अन्तरप्रान्तीय सप्लाई पर देय आई.जी.एस.टी. के विरुद्ध किया जाएगा, उतनी धनराशि प्रतिपूर्ति के इच्छुक आवेदक द्वारा अपने अनुवर्ती क्लेम से घटा दी जाएगी अथवा संबंधित प्रशासकीय विभाग को वापस कर दी जाएगी।
- (ii) कि एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति के क्लेम का किसी ट्रेडिंग गतिविधि से संबंध नहीं है।
- (iii) कि जिस राशि की प्रतिपूर्ति का क्लेम किया गया है उसमें विलम्ब शुल्क, दण्ड ब्याज, एवं ऐसे अन्य शुल्क सम्मिलित नहीं है जो प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है।
- (iv) कि आवेदनकर्ता इस तथ्य से भिन्न हैं कि उनके द्वारा ऐसे किसी वितरण के माध्यम अथवा मार्ग/इण्टरमीडियरी को इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना, जिससे कि अन्तरप्रान्तीय सप्लाई को प्रदेश के भीतर दिखा कर एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा के क्लेम में वृद्धि की जा सके, वर्जित है। यह भी कि ऐसा करने पर आवेदनकर्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- (v) यह कि ऐसे अतिरिक्त करों की राशि का आरोपण, जो कि कपट, मिथ्या कथन/तथ्यों को छिपाना, अथवा wilful default के कारण किया गया हो, प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह नहीं है, एवं यह भी कि यदि क्लेम की राशि में इस प्रकार आरोपित कर की राशि को सम्मिलित किये जाने की दशा में आवेदक कम्पनी के विरुद्ध नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।
- (vi) यह कि यदि किसी समय बिन्दु पर यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा अनुमन्य राशि से अधिक प्रतिपूर्ति किसी दावे के अधीन प्राप्त की गयी है, तो ऐसी अतिरिक्त एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की गई धनराशि राज्य सरकार को तुरन्त ही मय 18 प्रतिशत ब्याज दर की राशि के वापस करनी होगी।

3- ये स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 एवं उसके अन्तर्गत जारी नियमावली, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित सभी अन्य नीतियों तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2012 के अन्तर्गत संचालित मेगा परियोजनाओं एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003/2012 पर समान रूप से लागू होंगे। इस स्टैण्डर्ड ऑपरेंटिंग प्रोसीजर के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यथावश्यक नियमावतियों में प्रक्रियात्मक संशोधनों हेतु प्रशासनिक विभाग सक्षम होंगे। इस प्रकार यह स्टैण्डर्ड ऑपरेंटिंग प्रोसीजर सभी उन नीतियों में समान रूप से लागू होंगे जिनमें निवेशकों को एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

4- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से संबंधित इकाईयों द्वारा एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति हेतु क्लेम नोडल एजेन्सी/विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित संस्था/विभाग द्वारा स्टैण्डर्ड ऑपरेंटिंग प्रोसीजर (SOP) का पालन करते हुए संगत नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण/आंकलन कर प्रस्ताव राज्य कर विभाग को प्रेषित किया जाएगा। नोडल एजेन्सी/विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर राज्य कर विभाग द्वारा 15 दिनों के भीतर अपनी आख्या सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके पश्चात् संबंधित विभाग द्वारा सक्षम संस्तुतिकर्ता/स्वीकृतिकर्ता स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर नेट एस.जी.एस.टी. की स्वीकृत धनराशि संबंधित इकाई को वितरण हेतु राज्य कर विभाग को प्रेषित करेंगे जो अपने बजट से स्वीकृत क्लेम की धनराशि की प्रतिपूर्ति करेंगे। सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित इकाई को इन्सेंटिव का वितरण राज्य कर विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर करना सुनिश्चित किया जाएगा। जब तक वित्त विभाग द्वारा इस हेतु राज्य कर विभाग को बजट आवंटन नहीं किया जाता है, तब तक प्रशासकीय विभाग द्वारा एस0जी0एस0टी0 क्लेम प्रतिपूर्ति अपने बजट से की जाती रहेगी।

5- ये आदेश मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदन से जारी किये जा रहे हैं।  
कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार

प्रमुख सचिव।

**संख्या- 21/2020/1395(1)/77-6-2020-5(एम)/2017टी.सी.-2, तददिनांक-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, 30प्र0, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, 30प्र0शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उद्योग बन्धु की वेब-साइट पर अपलोड कराते हुए 150 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०शासन।
7. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
8. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**मुजाता शर्मा**  
विशेष सचिव।